कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 62/9 /46एम0-मु0क्षे0/13 दिनांक- 30/9/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :- जनपद रामपुर में बिलासपुर-मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-33) मार्ग के चैनेज-31.709 के ग्राम रौरा कलां के खसरा सं0-403 तहसील मिलक पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-3177/51काम-रा0वृत्त/15 दिनांक 16.09.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में जनपद रामपुर में बिलासपुर-मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-33) मार्ग के चैनेज-31.709 के ग्राम रौरा कलां के खसरा सं0-403 तहसील मिलक पर पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, बरेली को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, रामपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : 1-साईट प्लान 1
2-अधी0अभि0, रा0वृत का पत्र सं0-3177/51काम-रा0वृत/15 दिनांक 16-09-15
(छाया प्रति संलग्न)

(राजन मित्तल) 29/9
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 16-09-15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रॉकः– 1659 /आर0एस0एल0ए0 दिनॉकः– 7/10/15
सेवा में,

जिलाधिकारी
रामपुर।

विषयः– **जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग–33) मार्ग के कि0मी0 चै0 31.709 के ग्राम रौरा कला के खसरा नं0–403 तहसील मिलक पर रिटेल आउट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बंध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 1583/जे0ए0–2 दिनांक 17.08.2015 एवं मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र सं0– 6219/46एम–मु0क्षे0/13 दिनांक 30.09.2015

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.09.2015 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है प्रकरण मूल में संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–
1 – साइड प्लान 1
2 – अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0, रामपुर का पत्र सं0– 3177/51काम–रा0वृत/15 दिनांक 16.09.2015 की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामपुर

पत्रॉकः– /आर0एस0एल0ए0 दिनॉकः– 7/10/15
प्रतिलिपि –

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0, रामपुर को उनके पत्र सं0– 3177/51काम–रा0वृत/15 दिनांक 16.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर